प्रेस नोट-

थाना बड़ागाँव, झांसी

दिनांक- 04.02.2026

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही,**
- **थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के एक लाख तीन सौ रूपए बरामद**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 04.02.2026 को थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 13/2026 धारा 331(4)/305(A) BNS में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. सोनू कुशवाहा उर्फ चिकारा पुत्र रामसेवक कुशवाहा निवासी मोहल्ला तारपाठापुरा कस्बा व थाना बड़ागाँव जनपद झाँसी उम्र 29 वर्ष 2. अरविन्द विश्वकर्मा पुत्र भगवती प्रसाद निवासी मोहल्ला महाराजपुरा कस्बा व थाना बड़ागाँव जनपद झाँसी उम्र 28 वर्ष को चोरी के कुल 1,00,300/(एक लाख तीन सौ रुपये) के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं का समावेश करते हुए अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.02.2026 को वादी श्री विनय नारवानी s/o स्व0 श्री गोपाल दास नारवानी निवासी म0सं0-9 कमल रेजीडेन्सी शिवाजी नगर झाँसी ने उनके ट्रांसपोर्ट से चोरी हो जाने के संबंध में थाना बड़ागाँव पर मु0अ0सं0 13/2026 धारा 331(4)/305(A) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया था। पुलिस द्वारा प्रभावी पतारसी/सुरागरसी पर प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 1.सोनू कुशवाहा उर्फ चिकारा पुत्र रामसेवक कुशवाहा निवासी मोहल्ला तारपाठापुरा कस्बा व थाना बड़ागाँव जनपद झाँसी उम्र 29 वर्ष 2.अरविन्द विश्वकर्मा पुत्र भगवती प्रसाद निवासी मोहल्ला महाराजपुरा कस्बा व थाना बड़ागाँव जनपद झाँसी उम्र 28 वर्ष को भूपनगर रोड पर बराटा घाट पुलिया थाना बड़ागांव से गिरफ्तार किया। अभियुक्तगणो के कब्जे से कुल 1,00,300/(एक लाख तीन सौ रुपये) बरामद हुआ। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त अरविन्द मुकदमा वादी के ट्रांसपोर्ट में काम करता था ,उसने अपने साथी सोनू के साथ योजना बनाकर रूपए चोरी कर लिए थे

अभियुक्तगण का विवरण-

1.सोनू कुशवाहा उर्फ चिकारा पुत्र रामसेवक कुशवाहा निवासी मु0 तारपाठापुरा कस्बा व थाना बड़ागाँव जनपद झाँसी

2.अरविन्द विश्वकर्मा पुत्र भगवती प्रसाद निवासी मोहल्ला महाराजपुरा कस्बा व थाना बड़ागाँव जनपद झाँसी

बरामदगी का विवरण –

कुल 1,00,300/ (एक लाख तीन सौ रुपये) नगद रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. श्री राजेश कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना बड़ागाँव जिला झाँसी
2. उ0नि0 श्री मो0 हारून थाना बडागाँव जिला झाँसी
3. का0 598 विक्रम नागा थाना बडागांव जिला झाँसी
4. का0 1863 विकास कुमार थाना बडागांव जिला झाँसी